

कार्यालय प्रधानाचार्य, महारानी लक्ष्मीबाई चिकित्सा महाविद्यालय, झाँसी।

संख्या- /एम0सी0जे0-2025 /ई0सी0-1 /संविदा-नियुक्ति

दिनांक: 12-जुलाई-2025

नियुक्ति आदेश

प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, के शासकीय पत्र संख्या-148/71-1-24/71-1001/804/2020 लखनऊ दिनांक-14 जून 2024 के अनुपालनार्थ साक्षात्कार समिति द्वारा लिये गये निर्णयों से सम्बन्धित कार्यवृत्त दिनांक-14.06.2024 जोकि, इस कार्यालय के डायरी संख्या-4303 दिनांक-14.06.2024 पर अंकित है, के क्रम में महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज, झाँसी में चिकित्सा शिक्षकों की कमी को पूर्ण किये जाने के दृष्टिगत दिनांक 14-जुलाई-2025 को लिये गये साक्षात्कार में चयनित सम्बन्धित विशिष्टता में संविदा के आधार पर चिकित्सा शिक्षको के रूप में 01 वर्ष अथवा लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने अथवा नियमित नियुक्ति होने अथवा वांछित श्रेणी का अभ्यर्थी उपलब्ध होने, जो भी पहले घटित हो, तक के लिए संविदा के आधार पर तैनात किये जाने की स्वीकृति इस प्रतिबन्ध सहित अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रदान की जाती है कि प्रश्नगत पद अभी भी रिक्त है।

2- यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षक-

1. ओपी0डी0 के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
2. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में प्राइवेट प्रैक्टिस करने का समय एवं स्थान को अंकित करते हुये शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।।
3. मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेंगे।
4. प्राइवेट प्रैक्टिस करने की दशा में मेडिकल कालेज में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपलब्ध रहेंगे।
5. निर्धारित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ के हकदार न होंगे।
6. स्थानांतरित नहीं किये जायेंगे।
7. संविदा कालावधि के लिए किसी प्रकार के पेंशन सम्बन्धी सुविधाओं के हकदार नहीं होंगे, न ही ऐसी कालावधि के लिए कोई बोनस पायेंगे। संविदा कालावधि में कोई प्रशासकीय एवं वित्तीय दायित्व नहीं दिया जायेगा।
8. चिकित्सा शिक्षकों की संविदा सेवाओं से सम्बन्धित समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन हेतु बाध्य होंगे।
9. संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षको के लिये यह आवश्यक होगा कि वह नियुक्ति आदेश जारी होने से 15 दिन के अन्दर अपना कार्यभार ग्रहण करे ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी।
10. बाण्ड अभ्यर्थी को महानिदेशालय द्वारा निर्गत अनादेय प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने से पहले प्रस्तुत करना होगा

3- शासनादेश संख्या-4661/71-1-08-जी-63/2008 दिनांक 15-12-2008 तथा शासनादेश संख्या-909/71-1-13-जी-11/2011 दिनांक 11-04-2013, शासनादेश संख्या-सी0एम0-03/71-2014-जी63/ 08, दिनांक 22-01-2015, शासनादेश संख्या-104/ 2019/5044/71-1-9-जी-63/2008 दिनांक 21-11-2019 एवं शासनादेश संख्या-819/71-1-2015-जी-77/2015, दिनांक 24-04-2015, दिनांक 24-04-2015 में निर्धारित शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

4- उक्त चिकित्सा शिक्षकों को शासनादेश दिनांक 21-11-2019 एवं 18-07-2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार नियत वेतन देय होगा।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

संख्या:-2791 / एम0सी0जे0-2025 / ई0सी0-1 / संविदा-नियुक्ति तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेशित।

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1, लखनऊ।
2. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
4. कुलपति, अटल विहारी बाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ उ0प्र0।
5. मुख्य कोषाधिकारी, झाँसी।
6. आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कालेज, झाँसी।
7. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, झाँसी।
8. सम्बन्धित विभागध्यक्ष, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
9. मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
10. नोडल अधिकारी, ई-हास्पिटल/बायोमैट्रिक/एन0एम0सी0/वेबसाइट मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
11. लेखानुभाग (कॉलेज) द्वारा आहरण वितरण अधिकारी, मेडिकल कॉलेज, झाँसी।
12. सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षक।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।

आदेश संख्या:-2791/एम0सी0जे0-2025/ई0सी0-1/संविदा-नियुक्ति, दिनांक-18-07-2025 का संलग्नक

क्र० सं०	विशिष्टता का नाम एवं पदनाम	अभ्यर्थी का नाम एवं पता	जन्मतिथि	अभ्यर्थी की श्रेणी	रोस्टर की वांछित श्रेणी
1	न्यूरो सर्जरी (आचार्य)	डा० दिनेश शुक्ला पुत्र आत्मज: श्री प्रभू दयाल शुक्ला पता-गंगा हॉस्पिटल कानपुर रोड, झाँसी।	04-04-1978	अनारक्षित	अनुरक्षित जाति
2	ई०एन०टी० सह-आचार्य	डा० चॉदनी सेठी पत्नी डा० अनुज शमसेर सेठी, पता-ए०एच०-2/10 वीरांगना नगर, झाँसी।	05-11-1987	अनारक्षित	अनुरक्षित जन जाति


प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, झाँसी।